APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...मुकाम...

देवाराम वगैराह बनाम तहसीलदार बाडमेर

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा रा.का.अ. की धारा 136 राजस्व आवेदन पत्र संख्या 443 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 443/2018 अनवान देवाराम वगैराह बनाम तहसीलदार बाडमेर	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
01.06.2018	**आदेश** प्रार्थीगण देवाराम वगैराह जाति जाट निवासी सादुलाणियों का तला पटवार गण्डल सनावडा तहसील व जिला बाडमेर ने एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सादुलाणियों का तला के मूल खसरा नम्बर 963, 964, 961, 962 व 960 कुल रकबा 709.00 बीघा का एक राजस्व वाद संख्या 118/1983 सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाडमेर के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ जिसमें सहखातेदारों के मध्य आपसी राजीनामा व सहमति से भूमि विभाजन का आदेश पारित हुआ। उक्त निर्णय के अनुसार भूमि विभाजन के अनुसार मौके पर काश्त व कब्जे के अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम नही की गई। प्रार्थीगण ने काश्त व कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार बाडमेर को तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर उक्त प्रकरण न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र सनावडा में प्रस्तुत करने के लिखा गया। तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक रालोअ/2018/1063 दिनांक 01.06.2018 से तरमीम दुरूस्ती हेतु अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया गया है कि ग्राम सादुलाणियों का तला के खसरा नम्बर 1054/963, 1057/963, 1055/963, 1058/963 रकबा क्रमशः 83.00 बीघा, 53.10 बीघा, 153.14 बीघा, 106.05 बीघा भूमि में खातेदारान की सहमति से जाचं प्रतिवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की है।	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

PTO

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 443/2018 उनवान देवाराम वगैरह बनाम तहसीलदार बाड़मेर
	अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र व तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत जाचं प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सादुलाणियों का तला में स्थित खेत खसरा नम्बर 1054/963, 1057/963, 1055/963, 1058/963 रकबा क्रमशः 83.00 बीघा, 53.10 बीघा, 153.14 बीघा, 106.05 बीघा भूमि में काश्त व कब्जे के अनुसार संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' के अनुरूप लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तदानुसार समस्त राजस्व अभिलेख में अंकन करावें। नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, (एसडीओ) बाडमेर

पालना पत्र
1301
7.6.18